विद्युत प्रदाता संस्था एवं उसके दायित्व

विद्युत प्रदाय संस्था का परिचयः–

म.प्र. में विद्युत वितरण व्यवस्था का कार्य वर्तमान में 3 कम्पनियों के द्वारा किया जा रहा है, इनके नाम हैंः–

(अ) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर)
(ब) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल)
(स) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर)

इन कम्पनियों का सृजन सन् 2005 में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को विभाजित करके, विद्युत अधिनियम, 2003, में निहित प्रावधानों के अंतर्गत, किया गया है एवं यह कम्पनियाँ अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं के साथ विद्युत वितरण का व्यवसाय कर रही हैं। म.प्र. को निम्नानुसार तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के अधिकार क्षेत्र में विभाजित किया गया हैः–

(अ) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर – जबलपुर, रीवा, सागर तथा शहडोल संभागों के अंतर्गत आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र
(ब) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल – भोपाल, नर्मदापुरम, चम्बल तथा ग्वालियर संभागों के अंतर्गत आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र
(स) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर – इंदौर एवं उज्जैन संभागों के अंतर्गत आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र

म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर का मुख्यालय जबलपुर, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल का मुख्यालय भोपाल तथा म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। विद्युत वितरण कम्पनियों के मुख्यालय प्रबंध संचालक/प्रबंध निदेशक कार्यालय कहलाते हैं एवं इनके मुखिया प्रबंध संचालक/प्रबंध निदेशक होते हैं।

विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा तथा कार्य की सुगमता के लिए प्रबंध संचालक/प्रबंध निदेशक कार्यालयों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय बनाये गये हैं, क्षेत्रीय कार्यालय के मुखिया मुख्य अभियंता/मुंख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी होते है, म.प्र. पूर्व क्षेत्र कम्पनी लिमिटेड अंतर्गत जबलपुर, रीवा तथा सागर, म.प्र. मध्य क्षेत्र कम्पनी लिमिटेड अंतर्गत भोपाल तथा ग्वालियर एवं म.प्र. पश्चिम क्षेत्र कम्पनी लिमिटेड अंतर्गत इंदौर, ग्वालियर तथा उज्जैन में ये क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों को पुनः वृत्त कार्यालयों में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख अक्षीक्षण अभियंता/महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी होते हैं, वर्तमान में मध्यप्रदेश के लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर वृत्त कार्यालय स्थित है, पुनः इन वृत्त कार्यालयों को संभागीय कार्यालय, उप संभाग तथा वितरण केंद्रों में विभक्त किया गया है, जिनके प्रमुख अधिकारी क्रमशः कार्यपालन अभियंता/उपमहाप्रबंधक, सहायक अभियंता/सहायक प्रबंधक तथा कनिष्ठ अभियंता/प्रबंधक स्तर के अधिकारी होते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्युत वितरण कम्पनियों के उपरोक्तानुसार तंत्र की सबसे छोटी इकाई वितरण केन्द्र होती है, जो कि सामान्यतः ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध होती है एवं विद्युत उपभोक्ताओं को अपनी विद्युत सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए प्राथमिक रूप से इन्हीं वितरण केन्द्रों में सम्पर्क करना होता है, जैसे– कि नया कनेक्शन लेना, बिल भुगतान करना, बिल में सुधार कराना इत्यादि। कनिष्ट अभियंता/प्रबंधक के निर्देश पर लाइन मेन, मीटर रीडर, आपरेटर इत्यादि कार्य करते हैं, जो कि धरातल पर विद्युत व्यवस्था के रख–रखाव, संचालन, संधारण, बिल वितरण, निरीक्षण, वसूली इत्यादि कार्य सम्पादित करते हैं।

विद्युत प्रदाता संस्था के दायित्वः–

1:– विद्युत संयोजन प्रदान करनाः– विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 के अंतर्गत विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किये जाने पर विद्युत वितरण कम्पनियाँ उपभोक्ताओं को समयावधि में संयोजन प्रदाय करेगी। विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जाने में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जावेगी, कनेक्शन कितनी समयावधि में जारी किये जावेंगे एवं यदि उनके द्वारा विनियम द्वारा निर्धारित समयावधि में संयोजन नहीं जारी किये जाते हें, तो कम्पनियों के विरूद्ध क्या पेनाल्टी होगी, इत्यादि से सम्बन्धित विनियम म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के द्वारा जारी किये गये हैं। वर्तमान में इस संहिता के निम्नलिखित प्रावधान विद्युत उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैः–

(अ) विद्युत प्रदाय संहिता के विनियम 4.8 में यह प्रावधान किया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों को अपनी कार्यालयीन वेबसाइट एवं समस्त कार्यालयों के सूचना पटल पर निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी–

(i) नवीन संयोजन, अस्थाई संयोजन मापयंत्र अथवा सेवा लाइन के स्थानांतरण, उपभोक्ता प्रवर्ग में श्रेणी का परिवर्तन, भार में वृद्धि, भार में कमी, नाम परिवर्तन, स्वामित्व का हस्तान्तरण तथा परिसरों के स्थानांतरण आदि की स्वीकृति देने की विस्तृत प्रक्रिया।

(ii) उन कार्यालयों का पता तथा दूरभाष क्रमांक जहाँ भरे गये आवेदन को प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) आवेदन/आवेदन प्रपत्र को ऑनलाईन जमा करने के लिए वेबसाईट का पता।

(iv) आवेदन के साथ संलग्न किये जाने के लिए अपेक्षित प्रलेखों के प्रतियों की पूर्ण सूची।

(v) आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले सभी लागू प्रभार।

(vi) सभी प्रकार के संयाजनों के साथ–साथ विद्यमान संयोजन में उपांतरण करने के लिए सभी आवेदन प्रपत्रों को विद्युत वितरण कम्पनियों के सभी स्थानीय कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ–साथ उसकी वेबसाईट पर निःशुल्क डाउनलोड के लिये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ब) विनियम 4.9 के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनी को आवेदन प्रपत्रों को ऑनलाईन जमा करने के लिए एक वेब पोर्टल तथा एक मोबाइल एप का निर्माण करेगा, तथापि विनियम 4.10 में उपभोक्ताओं को आवेदन पत्र ऑनलाइन अथवा हार्ड कॉपी में जमा करने का विकल्प प्रदाय किया गया है।

(स) विनियम 4.15 के अनुसार 10 कि.वा. भार अथवा इससे अधिक भार वाले नवीन संयोजनों के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दो अनिवार्य प्रलेख प्रस्तुत किये जायेंगेः–

(i) आवेदक के पहचान का प्रमाण (जैसे– पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि की स्व–अभिप्रमाणित प्रतिलिपि) ; तथा

(ii) उस परिसर जिसके लिये नवीन संयोजन की मांग की जा रही है, के बारे में आवेदक के स्वामित्व या अधिवास का प्रमाण

किन्तु विनियम 4.16 में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि घरेलू एवं सिंगल फेस के गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा परिसर के विधिसम्मत अधिभोगी होने का प्रमाण दिया जाना सम्भव न हो, तो ऐसे प्रमाण की आवश्यकता को विनियम में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुये समाप्त भी किया जा सकता है।

(द) विनियम 4.25 के अनुसार कनेक्शन प्रदाय करने की समयावधि शहरों (आयुक्त मुख्यालयों) में 5 दिवस, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिवस से अधिक नहीं होगी, यदि कनेक्शन किये जाने में किसी प्रकार के लाईन विस्तार कार्य इत्यादि किये जाने की आवश्यकता न हो एवं आवेदक द्वारा नियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हों।

(ई) किसी उपभोक्ता द्वारा यदि विद्युत का अस्थायी कनेक्शन लिया गया हो तो विनियम 4.56 के अनुसार ऐसे कनेकशन की अवधि पूर्ण होने के उपरांत, विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही करेगा, तद्उपरांत अंतिम बिल तैयार करेगा तथा एक माह के भीतर उपभोक्ता को यह बिल प्रेषित कर देगा एवं वापसी हेतु शेष राशि, यदि कोई हो, तो उपभोक्ता से मूल रसीद प्राप्त कर अथवा इंडिमिनिटी बाँड प्राप्त कर 30 दिन के भीतर वापस कर देगा।

भिन्न–भिन्न विद्युत उपभोक्ता श्रेणियों हेतु नवीन विद्युत संयोजन प्राप्त करने की विस्तृत विधि तथा इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 का अध्ययन किया जा सकता है।

उचित दर पर विद्युत प्रदायः–

यह सुनिश्चित किया जाना कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को उचित दरों पर विद्युत प्रदाय करें, आयोग के दायित्वों में मुख्य रूप से सम्मिलित है।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत दरों के निर्धारण हेतु प्रतिवर्ष आयोग में याचिका दायर की जाती है, आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर याचिका का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है, एवं आयोग द्वारा विद्युत दरों के निर्धारण हेतु जारी विनियमों के आधार पर, कम्पनियों द्वारा दायर याचिका का आकलन किया जाता है, याचिका के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना जारी कर उपभोक्ताओं तथा अन्य सम्बन्धितों की आपत्तियाँ/सुझाव/टीप इत्यादि आमंत्रित कर जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, तत्पश्चात् इसे आयोग द्वारा गठित राज्य सलाहकार समिति की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्यों के साथ विचार–विमर्श के उपरांत, प्राप्त आपत्तियों, सुझावों के उचित निराकरण के साथ, याचिका के आँकड़ों के सूक्ष्म परीक्षण व आवश्यक संशोधनों के पश्चात् नई विद्युत दरें जारी की जाती है।

यहाँ, यह महत्वपूर्ण है कि नवीन विद्युत दरों का निर्धारण किये जाते समय आयोग द्वारा इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है कि किसी भी स्थिति में विद्युत कम्पनियों की अक्षमता का भार उपभोक्ताओं को दरों में वृद्धि के रूप में न उठाना पड़े। इसीलिये आयोग द्वारा पूर्व में ही कई मानकों को विनियम के रूप में तय कर दिया जाता है एवं यदि वास्तविक आँकड़ें इन तय मानकों से अधिक होते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाता, उदाहरण के लिए विद्युत हानियाँ, विद्युत हानि जो कि आयोग द्वारा मान्य की जाती हैं, पूर्व से ही निर्धारित कर दी जाती है, किन्तु यदि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा याचिका में दर्शायी गयी हानियाँ इन मानक हानियों से अधिक होती हैं तो इन्हे विद्युत वितरण कम्पनियों की अक्षमता मानते हुये आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता एवं इस आधार पर विद्युत दरें बढ़ाने का अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाता है।

टैरिफ (विद्युत दरों) के निर्धारण का मूलभूत सिद्धाँत विद्युत वितरण कम्पनियों की विद्युत की प्रति यूनिट लागत दर की गणना किया जाना है, इस लागत दर में विद्युत उत्पादन कम्पनियों को भुगतान की गई विद्युत की कीमत, विद्युत अधोसंरचना के निर्माण तथा रख–रखाव पर होने वाला व्यय, विद्युत वितरण के लिए कार्य करने वाले

अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन व अन्य खर्च, विद्युत उपकरणों के अवक्षरण की लागत इत्यादि व्यय शामिल होते हैं। यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से लागत की प्रति यूनिट की दर, वितरण की प्रति यूनिट की दर के समान होनी चाहिए, जो कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए समान विद्युत दरों के सिद्धान्त के अनुरूप है, किन्तु व्यवहारिक रूप से ऐसा होता नहीं हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रदेश के सभी नागरिक विद्युत के उपभोक्ता हैं, किन्तु सभी की आर्थिक/सामाजिक स्थिति समान नहीं है इसीलिये विद्युत दरों के निर्धारण के समय यह बात ध्यान में रखी जाती है कि प्रदेश के आर्थिक/सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये विद्युत दरें कम रखी जायें एवं जो इनका वहन करने में समर्थ हैं, उनके लिए अपेक्षाकृत रूप से अधिक दरें रखी जावे। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए उचित दरें निर्धारित की जाती हैं।

गुणवत्ता पूर्ण विद्युत प्रदाय करना

गुणवत्ता पूर्ण विद्युत प्रदाय करना, गुणवत्ता के मानक तथा गुणवत्ता पूर्ण विद्युत प्रदाय न किये जाने पर क्षतिपूर्ति करनाः—

विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु मानक निर्धारित किये हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इन मानकों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य किया गया है। यदि विद्युत वितरण कम्पनियाँ इन निर्धारित मानको का अनुपालन नहीं करती या करने में अक्षम रहती हैं, तो उन्हें इस हेतु उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है। उपभोक्ता को यह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सेवा में कमी के तीस दिन के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विनियम आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मापदंड) (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम, 2021 के रूप में जारी किये गये हैं।